CNRNO-UPBU01-009788-2020

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या 07, बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या- 1763 सन् 2020

सरकार बनाम विकास उर्फ लाला आदि

दिनांक- 04.04.2022

प्रार्थी अरूण की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या - 29 बी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सत्र वाद उपरोक्त में घटना की दिनांक 09.08.2020 है जबकि प्रार्थी घटना के समय नाबालिग था चूंकि प्रार्थी वर्ष 2022 में भी हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है और आधार कार्ड व हाई स्कूल प्रवेश पत्र के अनुसार भी प्रार्थी की जन्म तिथि 01.02.2005 है जोकि घटना के समय प्रार्थी की उम्र 15 साल 06 महीना 08 दिन व आज भी प्रार्थी की उम्र 17 साल 01 महीना 27 दिन बनती है इसलिए प्रार्थी घटना के समय और आज भी नाबालिग है। चूंकि नाबालिग से सम्बन्धित मुकदमों के विचारण के लिये बाल न्यायालय बुलन्दशहर में विचारण होना चाहिये और श्रीमानजी को बाल अपचारी के विचारण का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोप भी तय नहीं किये जा सकते है इसलिए प्रार्थी की पत्रावली को बाल न्यायधीश बुलन्दशहर के यहाँ अलग कर बाल अपचारी घोषित कर भेजा जाना न्यायहित में है।

सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी अरूण द्वारा बाल अपचारी घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में एक अन्य प्रार्थना पत्र कागज संख्या - 35 बी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें घटना की दिनांक 28.07.2020 अंकित की गयी है। जो प्रार्थना पत्र 29 बी से अलग है। प्रार्थी द्वारा एक ही दिनांक पर दो प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है तथा दोनों ही प्रार्थना पत्रों में घटित घटना की दिनांक अलग - अलग अंकित की गयी है। पत्रावली पर मौजूद दोनों ही प्रार्थना पत्र के विराधोभासी होने के कारण घटित घटना के दिनांक से प्रार्थी के आयु का सही अवलोकन नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या -29 बी व 35 बी पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 29 बी व 35 बी पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाते है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक 15.04.2022 को पेश हो।

(रितिका त्यागी)

दिनांक :04.04.2022

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या 07, बुलन्दशहर।
JO CODE NO-UP-2748